Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांकः प. 10(7)परि/लेखा/जलेस/2017–18/ जयपुर, दिनांकः 6/6/2022

कार्यालय आदेश संख्या 11

विषयः– आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों, महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों, पीएसी एवं सीएजी प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्रतिवेदनों एवं सिफारिशों की पूर्ण क्रियान्विति सुनिश्चित करने के संबंध में पूर्व आदेश संख्या 30 दिनांक 21.08.2015 एवं 21/2021 दिनांक 18.11.2021 एवं अनेक बार निर्देश जारी करने के उपरांत भी प्रायः देखा गया है कि कराधान अधिकारी अंकेक्षण से संबंधित मामलों में उदासीन रहते है। प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना/क्रियान्विति नहीं होने की स्थिति को जनलेखा समिति एवं महालेखाकार द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। अतः सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है किः–

1. जिन वाहनों का कर जमा हो चुका है, उनकी प्रविष्टि कर खाते में लिया जाना सुनिश्चित करे इस हेतु कार्यालय की आरसीआर एवं निरीक्षको द्वारा जमा रसीदों का अवलोकन करें।
2. वर्तमान में विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.02.2022 द्वारा जारी एमनेस्टी योजना प्रभावी है इस योजना के तहत प्रतिवेदनों में आक्षेपित जिन वाहनों का कर जमा नही है एवं वाहन संचालन में है तो उनके कर एवं ब्याज/पेनल्टी की गणना कर वाहन स्वामी को सूचित करें। एमनेस्टी के तहत देय छूट का अंकन किया जाकर कर जमा कराने हेतु प्ररित करें।
3. जिन वाहनों का लम्बे समय से कर जमा नही है, वाहन मार्ग पर संचालित नही है, नष्ट/खुर्द–बुर्द हो गया है, को विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.02.2022 के तहत एमनेस्टी की परिधि में लिया जाकर निर्देशानुसार कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
4. जिन वाहनों को खुर्द–बुर्द मानकर पंजीयन निरस्त किये जाते है उनके आदेशों में वाहनों का मैक/मॉडल, मूल एवं पुनः पंजीयन तिथी अंकित की जावें। यदि वाहन पंजीयन से अल्प अवधि में खुर्द–बुर्द/नष्ट हुआ माना जाता है, तो इसका स्पष्ट कारण का उल्लेख आदेश में किया जावें। पंजीयन अधिकारी पंजीयन निरस्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें की इस योजना का कोई वाहन स्वामी नाजायज लाभ नही उठा सके।
5. उक्त सभी कार्यवाही दिनांक 30.09.2022 तक पूर्ण कर प्रतिवेदनों की विशेषकर 5 वर्ष से अधिक अवधि के प्रतिवेदन एवं वर्ष 2015–16 के आंतरिक निरीक्षण के पूरक प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना दिनांक 15.10.2022 तक वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
6. माह अक्टूबर 2022 में कराधान अधिकारी द्वारा की कार्यवाही की समीक्षा की जावेगी एवं जो कराधान अधिकारी निर्देशों की पालना में उदासीन पाए जावेंगें उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(कन्हैया लाल स्वामी)
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा
आयुक्त

क्रमांकः प. 10(7)परि/लेखा/जलेस/2017–18/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन एवं सड़क सूरक्षा आयुक्त।
2. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. उप वित्तीय सलाहकार
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय
6. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है की वे अपने अधीनस्थ जिला परिवहन कार्यालयों के विषयान्तर्गत प्रतिवेदनों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त जिला परिवहन अधिकारी

वित्तीय सलाहकार